श्री सभापति : वह सर्कुलेट करवा देंगे। आप मंत्री जी से मांग लीजिए, हाउस का समय क्यों वेस्ट करते हैं।

स्वाधार योजना के अंतर्गत लाभान्वित महिलाएं

* 683. **डा० ए०के० पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए "स्वाधार योजना" के अंतर्गत कितनी महिलाओं को लाभ मिला;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस तथ्य की जांच की गई है कि महिलाओं को मिलने वाला लाभ उन्हें उचित रूप से मिल रहा है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

यह स्कीम वर्ष 2001-02 में चलाई गई थी, इसलिए एक परियोजना वर्ष 2001-02 में तथा 21 परियोजनाएं वर्ष 2002-03 में स्वीकृत की गईं। इनमें से एक परियोजना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को, 8 परियोजनाएं राज्य सरकारों को तथा 13 राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित स्वैच्छिक संगठनों को संस्वीकृत की गईं। ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (**नीचे देखिए**)। लगभग 3000 महिलाओं के प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने की सम्भावना है।

प्रत्येक स्कीम में उपबंधित जांच एवं अनुवीक्षण तंत्रों के अलावा, इस स्कीम में अभिप्रेत लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने हेतु किये गये कुछ अतिरिक्त सुरक्षोपाय इस प्रकार हैं:

(i) राज्य सरकारों से कोई भी प्रस्ताव उच्च-स्तरीय समिति में विचारोपरान्त ही भेजना अपेक्षित है, ताकि कार्यान्वयनकर्ता संगठन का पूर्ववृत्त सुनिश्चित किया जा सके, पुलिस, कल्याण, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न अभिकरणों के साथ आवश्यक सम्पर्क सुनिश्चित किये जा सकें और इसमें विभिन्न घटकों का समावेश हो। यह उच्च-स्तरीय समिति परियोजना के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण भी करेगी।

(ii) राज्य की परियोजनाओं पर विचार किये जाने से पूर्व राज्य सचिव द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया जाना अपेक्षित है।

(iii) दिल्ली तथा राजस्थान में कुछ परियोजनाओं का अनुवीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है।

विवरण-I

महिला लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	शामिल श्रेणियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	200	अवैध व्यापार पीड़ित महिलाएं
2.	गुजरात	4	680	दंगा पीड़ित
3.	हरियाणा	1	100	अवैध व्यापार पीड़ित
4.	जम्मू व कश्मीर	1	100	आतंकवादी हिंसा
5.	कर्नाटक	1	100	अवैध व्यापार पीड़ित
6.	महाराष्ट्र	1	400	अवैध व्यापार पीड़ित
7.	राजस्थान	1	50	अवैध व्यापार पीड़ित
8.	तमिलनाडु	4	370	अवैध व्यापार पीड़ित, मानसिक रूप से विक्षिप्त
9.	पश्चिम बंगाल	1	50	पूर्व कैदी महिलाएं
10.	दिल्ली	4	150	अवैध व्यापार पीड़ित महिलाएं
11.	उत्तर प्रदेश	2	813	वृंदावन में रहने वाली विधवाएं
12.	के. स. क. बो.	हेल्पलाइन		तंग हाल महिलाओं को तत्काल सेवाएं प्रदान करने हेतु 51 केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।
	कुल :	22	3013	

Women benefited under "Swadhar Yojana"

†*683. DR. A.K. PATEL : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of women benefited under the "Swadhar Yojana" formulated for women living in difficult conditions;

(b) the State-wise details thereof; and

(c) whether it has ever been investigated that the benefit which is received by the women is being provided appropriately?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The scheme was operationalised in 2001-2002, one project was sanctioned in 2001-2002 and 21 in 2002-2003. Out of these one project was sanctioned to CSWB, eight to State Governments and their organisations and 13 to voluntary organisations recommended by State Governments. Details are annexed in Statement-I (*See below*). About 3000 women are expected to be benefited directly.

In addition to usual checks and balances built in every scheme the following are additional safeguards to ensure that the benefit accrue to the intended beneficiaries:

(i) The State Government is expected to forward the proposal after it is considered in a high level committee in order to ensure the antecedents of the implementing organisations, to ensure the necessary linkages with different agencies like Police, Welfare, Health are forged and that different components are built in. This high level committee would also monitor the implementation.

(ii) The State Secretary is required to make a presentation before projects of the state are considered.

(iii) Some of the projects in Delhi and Rajasthan are being monitored by Delhi High Court.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

Statement-I

State-wise details of the women beneficiaries

Sl. No.	State	No. of Projects	No. of Beneficiaries	Categories Covered
1.	Andhra Pradesh	1	200	Trafficked Women
2.	Gujarat	4	680	Riot victims
3.	Haryana	1	100	Trafficked victims
4.	Jammu & Kashmir	1	100	Terrorist violence
5.	Karnataka	1	100	Trafficked victims
6.	Maharashtra	1	400	Trafficked victims
7.	Rajasthan	1	50	Trafficked victims
8.	Tamil Nadu	4	370	Trafficked victims Mentally Challenged
9.	West Bengal	1	50	Ex-women prisoners
10.	Delhi	4	150	Trafficked women
11.	Uttar Pradesh	2	813	Vrindaban widows
12.	CSWB	Helplines		51 centres have been sanctioned to provide *impromptu* services to women in distress
	TOTAL :	22	3013	

DR. A. K. PATEL : Mr. Chairman, Sir, I would like to congratulate the hon. Minister of Human Resource Development for taking revolutionary steps in different fields of life. Here, the needy women are extended help through this project. I would like to refer to part (c) of my question, and would like to know whether any case of malpractice has been detected, where the services provided, have not reached the needy persons.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, यह योजना सन् 2001 में शुरू की गई। उस साल केवल एक ही प्रस्ताव था। पिछले साल कुछ प्रस्ताव आए हैं। अभी इस योजना को चलते हुए

एक ही वर्ष हुआ है लेकिन हमने इसमें बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं रखी हैं कि शिकायत होने की गुंजाइश नहीं होगी। राज्य सरकार से पूरे तौर पर छानबीन के पश्चात्, फिर हमारे यहां मंत्रालय में पूरी छानबीन के पश्चात्, विभिन्न एजेंसीज जो इसमें लगेंगी, उनसे पूरी छानबीन के पश्चात् हम इस योजना को स्वीकृत करते हैं और अभी तक इसमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर सम्माननीय सदस्य इस बारे में कोई ऐसी घटना हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम उसकी तत्काल जांच करेंगे।

DR. A.K. PATEL : Sir, one of the projects was given to Vrindavan. Usually, at such pilgrim places, where foreign tourists also come, should be well maintained, But, this place, where our ladies loiter and move in the streets, is in a very bad shape. A project was sanctioned for Vrindavan. I would like to know the *modus operandi* adopted there, that is, the method of working there.

डा. मुरली मनोहर जोशी : जो मुख्य रूप से स्कीमें हैं वे उन महिलाओं के लिए हैं जो वहां भजन करती हैं और अपने घरों से छोड़ दी जाती हैं किसी कारण से भी, या विधवा हो गई हैं इसलिए या परिवार वाले उनको छोड़ देते हैं। तो उस दृष्टि से हम वहां भवन बनवा रहे हैं ताकि उनकी व्यवस्था ठीक हो सके और उनको हम कुछ काम भी सिखाएंगे जिससे कि वे आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन हो सकें। और तीसरे, वे मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से आती हैं। तो हम वहां भी रोकथाम कर रहे हैं जिससे वे यहां आएं ही नहीं और वहां ही ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उन्हें वृन्दावन आने का अवसर न मिले। इस प्रकार की योजना हम कर रहे हैं और अभी तक ऐसी 813 विधवाओं की सहायता हम कर चुके हैं जो वृन्दावन में हैं।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY : Sir, this is a unique scheme. While appreciating the hon. Minister, I would like to know from him what is the amount allocated for each scheme. Is it a recurring or one-time grant ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : यह तो उन पर निर्भर करता है, उसकी जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से उसको पैसा देते हैं। जहां रिहेबिलिटेशन वगैरह है वहां रेकरिंग भी देना पड़ता है, जहां भवन बना है वहां वन टाइम देना पड़ता है। तो जैसी योजना आती है जिस प्रकार की महिलाएं आती हैं उन सब को देखते हुए हम उसका प्रबंध करते हैं। जहां ट्रेफिकिंग से पकड़ी हुई महिलाएं आती हैं उसके मामले दूसरे होते हैं।

SHRI EDUARDO FALEIRO : Sir, this is a very important scheme for women development, Self-Help Groups. But the problem here is that the utilisation is very low. I find here from the Budget papers that allocation was Rs. 13.15 crores. It was revised down to Rs. 9 crores, that is, more than one-third amount was cut, and utilisation was even lower. This is happening practically to I have got the

Budget papers here with me every programme for women and child development. Now, I would like to know from the hon. Minister what are the reasons for this low utilisation of funds under this programme, as well as, in other programmes for women and child development. And, what steps does the Minister contemplate to make full utilisation of the Budget for this year ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, हमारे इस मंत्रालय में शत प्रतिशत यूटिलाइजेशन हुआ है। लेकिन यह जो स्कीम हैं यह स्कीम अभी चली है.और दूसरे यह कि इसमें किसी भी तरह से पैसा चूंकि एन.जी.ओज. के मार्फत से जाता है इसलिए हम उसको बहुत सावधानी के साथ करते हैं। ऐसा न हो कि पैसा तो चला जाए और उसका दुरुपयोग वहां हो। तो कोशिश यह है कि हम एन.जी.ओज. का आइडेंटिफिकेशन ठीक से करते हैं, उन सरकारी एजेंसीज के साथ ठोक-बजाकर बातचीत करते हैं जिससे पैसे का ठीक उपयोग हो। अगर पहली शुरुआत में हम इसकी परम्पराएं ठीक कर देंगे तो आगे चलकर वे परम्पराएं बनी रहेंगी और अगर शुरू में पैसा डाउन दी ड्रेन डाल दें तो वह मंत्रालय के लिए सही नहीं है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति जी, अगर इतना डर-डर कर काम करेंगे तो ऐसे कैसे होगा।...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : ऐसे इनको क्यों डराती हैं।

Jana Shikshan Sansthan

*684 . DR. ARUN KUMAR SARMA : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the list of operating Jana Shikshan Sansthan in Assam indicating their location, nodal agency, date of commencement, total outlay approved ;

(b) list of such proposals from Assam, pending for clearance showing date of application, present status and expected date of sanction; and

(c) the implementation status of Total Literacy Campaign (TLC) and Sarva Shiksha Abhiyan Programmes in Assam with achievements made, so far, district-wise ?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Two Jana Shikshan Sansthans (JSS) have been sanctioned to the state of Assam, so far, as per the details indicated below :-